Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **खेरतल तिजारा में सहायक कलक्टर का वाहन चालक (संविदाकर्मी) 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, दिनांक 17 अगस्त, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी अलवर प्रथम द्वारा आज ट्रैप कार्यवाही करते हुए **गजेन्द्र सिंह हाल वाहन चालक (संविदा कर्मी), सहायक कलक्टर, मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा** को परिवादी से **25,000/- रुपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी अलवर को परिवादी द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि एसीएम मुण्डावर के न्यायालय में उसके चाचा द्वारा भूमि बंटवारे के संबंध में प्रकरण विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में न्यायालय के आदेश से तहसीलदार मुण्डावर से कुरेजात रिपोर्ट मांगी गई थी। परिवादी द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट को अस्वीकार कर पुनः मौके के अनुसार रिपोर्ट मंगवाने के संबंध में दिनांक 17.07.2026 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

परिवादी के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई नहीं होने पर दिनांक 14.08.2026 को वह सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट मुण्डावर श्री मनीष जाटव से मिला। सहायक कलक्टर द्वारा परिवादी को अपने वाहन चालक गजेन्द्र सिंह से बात करने के लिए कहा गया। आरोपी गजेन्द्र सिंह से मिलने पर उसने परिवादी को बताया कि सहायक कलक्टर द्वारा उसके प्रकरण में पुनः कुरेजात रिपोर्ट के आदेश किए जाएंगे, जिसके लिए 50,000/- रुपये देने होंगे।

परिवादी द्वारा ए.सी.बी. चौकी अलवर में शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायत के क्रम में उसी दिन रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी गजेन्द्र सिंह द्वारा सहायक कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट मुण्डावर श्री मनीष जाटव के लिए 50,000/- रुपये तथा स्वयं के लिए 5,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी से 15,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करना भी पाया गया।

मांग की पुष्टि होने के उपरांत आज **उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी अलवर प्रथम के प्रभारी **उप अधीक्षक पुलिस श्रीशब्बीर खान** के नेतृत्व में ट्रैप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह को परिवादी से 25,000/– रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

ए.सी.बी. की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमला** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ एवं अग्रिम कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।